मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग,
मंत्रालय,भोपाल

—0—

क्रमांक / 1625 / 1888 / 2017 / ब/चार भोपाल,दिनांक 10 / 07 / 2017

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय,भोपाल।

विषय :— विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को आधार आधारित भुगतान (DBT) के संबंध में कार्यवाही।

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कोषालयों के माध्यम से किये जाने वाले भुगतान शतप्रतिशत सीधे बैंक खातों में किये जा रहे हैं। दिनांक 21 जून, 2017 को DBT पर सचिव (CLPG) केबिनेट सचिवालय भारतसरकार की अध्यक्षता में वीडियो कॉफ्रेंसिंग में यह निर्देश दिये गये हैं, कि हितग्राहियों को आधार आधारित भुगतान सुनिश्चित करने के लिये निम्नांकित कार्यवाही की जाये :—

1— भारतसरकार एवं राज्य की योजना एवं कार्यक्रम की सूची बनाई जाये।

2— उक्त योजना में DBT लागू करने का ऑकलन किया जाये, जिसमें उद्देश्य लक्षित हितग्राही, योजना कियान्वयन और फण्डफ्लो सम्मिलित है।

3— Adhar Act 2016 के सेक्शन — 7/57 के तहत राज्य की संचित निधि से पोषित योजनाओं में आधार सीडिंग हेतु अधिसूचना जारी करने की कार्यवाही की जाए।

5— केन्द्र सरकार एवं राज्य की संचित निधि से हितग्राही मूलक पोषित योजनाओं के वर्तमान हितग्राहियों को डिजिटाईजेशन किया जाए, उनकी आधार सीडिंग एवं उपलब्ध डाटाबेस का आधार आधारित सत्यापन का कार्य पूर्ण किया जाए एवं विभागीय योजनाओं के तहत

हितग्राहियों के लिए ऐसी प्रकिया/साफ्टवेयर तैयार की जाए जिसके द्वारा नवीन जोड़े जाने वाले हितग्राही को योजना में सम्मिलित करते समय/आवेदन के साथ ही आधार सीडिंग की जा सके एवं मोबाईल नंबर दर्ज किए जा सके।

6– हितग्राहियों के डेटावेस की सत्यापित आधार सीडिंग की जाए। नेशनल DBT पोर्टल (www.dbt bharat.gov.in) पर प्रत्येक DBT स्कीम के लिये DBT Scheme Code जनरेट किया जाए। यदि पोर्टल को Access करने में विभाग को कठिनाई हो तो योजनाओं का विवरण 15/7/2017 तक आयुक्त कोष एवं लेखा को उपलब्ध कराया जाए, ताकि आपके विभाग से संबंधित योजनाओं का DBT Scheme Code जनरेट कर उपलब्ध कराया जा सके।

7– उक्त DBT स्कीम कोड का योजना से संबंधित समस्त वित्तीय संव्यवहारों में प्रयोग किया जाए।

8– नगद हितलाभ वितरण योजनाओं में राज्य में लगभग समस्त योजनाओं का भुगतान सीधे हितग्राही के खातों में किया जा रहा है। मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग, मंत्रालय के पत्र कमांकःएफ–1(ए)4/2016/ई/चार, दिनांक 25.11.2016 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि DBT के लिये कोषालय भुगतान प्रणाली अथवा PFMS में से किसी भी प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है, अतः जिन योजनाओं के तहत भुगतान कोषालय भुगतान प्रणाली से वर्तमान में किया जा रहा है या किया जा सकता है उसके लिये कोषालय भुगतान प्रणाली का उपयोग किया जाए अन्यथा स्थिति में PFMS प्रणाली का उपयोग किया जाए।

9– वस्तु (In-kind) वितरण में आधार के माध्यम से हितग्राहियों का सत्यापन किया जाए।

10– प्रत्येक विभाग की योजनाओं में DBT के कियान्वयन के लिये विभाग द्वारा एक टीम का गठन किया जाए जिसमें तकनीकी नोडल अधिकारी, एक गैर तकनीकी नोडल अधिकारी तथा एक वित्त नोडल अधिकारी नामांकित किया जाए तथा संचालनालय कोष एवं लेखा को अवगत कराया जाए।

11– DBT के संबंध में किसी भी प्रकार की आवश्यक समस्या उत्पन्न होने पर दूरभाष कमांक 0755–2676020 पर उनसे संपर्क किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर जानकारी दिनांक 15 जुलाई, 2017 तक अनिवार्यतः प्रेषित करने का कष्ट करें।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक / 1626 / 1888/ 2017 /5)-चार   भोपाल,दिनांक 10..../07/ 2017

प्रतिलिपि :—

1.समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

2.आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन/वित्त विभाग